अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 175/2012

मुकुन साह एवं अन्य –– अपीलार्थीगण

वनाम

रविन्द्र नारायण यादव –– रेस्पोण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

17.10.2014

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांकः 16.01.12 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 159/11–12 के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद में खुरहान मिलीक, थाना नं0 67, अंचलः आलमनगर, खाताः212पु0, 916नया, खेसराः473पु0, 1123नया, रकबा–08 डी0 प्रश्नगत विवादी भूमि है।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता ने निम्न न्यायालय में दाखिल वाद–पत्र के दफा नं०–15 में न्यायालय से वादी का स्वत्व (Title) एवं पोजेशन विवादी भूमि के निश्वत घोषित करने, न्यायालय से विवादी भूमि के निश्वत हाल सर्वे खतियान को संशोधन करने, खाता नं० 916 में दर्ज योगेन्द्र यादव के नाम को विलुप्त कर उक्त स्थान पर वादी का नाम दर्ज करने, विवादी भूमि के निश्वत मुदालह के (Forcible Possession) को अवैध घोषित करने एवं विवादी भूमि पर वादी को दखल, कब्जा पुनः दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि विवादित खेसरा नयाः 1123 का रकवा नया खतियान के अनुसार 08 डी० है लेकिन नया नक्शा के अनुसार रकवाः 11 डी० है एवं नया खेसराः 1123 पुराना खेसरा नं०: 473 से बना है वो विवादी नया खेसराः 1123 का खाता हाल सर्वे में गलती से योगेन्द्र यादव पे० तेतर यादव के नाम से दर्ज हो गया है जबकि योगेन्द्र यादव को कोई सरोकार उक्त भूमि से नहीं है। जिसे सुधार किया जाना जरूरी है। बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि पुराना खाताः 212, पुराना खेसरा नं०: 473 रकवाः 10 डी० (02 कट्ठा 06 धुर) पुराने सर्वे खतियान में नाम से भिखारी मंडल वल्द पोसन मंडल दर्ज है वो खतियानी रैयत भिखारी मंडल को अपना संतान नहीं था जिस वजह से उन्होनें अपने भतीजा योगेन्द्र यादव को पोषपुत्र ले लिया वो भिखारी मंडल के मृत्यु के पश्चात् विवादी भूमि पर योगेन्द्र यादव हकदार वो दखलकार हुए वो अपना घर, मकान विवादित भूमि पर बनाये वो मौजाः खुरहान मिलीक में हाल सर्वे की कार्यवाही शुरू हुई वो हाल सर्वे में मुताबिक हकियत वो दखली के विवादी भूमि का खाता योगेन्द्र यादव पे० तेतर यादव के नाम से दर्ज हुआ वो हाल सर्वे खतियान का फाईनल प्रकाशन वर्ष 1977 ई० में हुआ वो हाल खतियान में मकान–मय–सहन दर्ज हुआ चूँकि विवादित भूमि पर योगेन्द्र यादव का घर–मकान कायम

था।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि मुताबिक हकियत वो दखली के योगेन्द्र यादव वो उपेन्द्र यादव पे० तेतर यादव ने वजरिये रजिस्टर्ड केवाला संख्याः 5517/1973 दिनांकः 23.10.1973 ई० के द्वारा पुराना खाता नं०: 212, पुराना खेसरा 473, नया खेसरा 1123, रकवाः 02 कट्ठा 06 धूर भूमि बिक्री वहक डोमी साह पे० भरोसी साह (अपीलार्थी /प्रतिवादीगण के पिता) को किया वो बाद खरीदगी के अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के पिता–डोमी साह हकदार वो दखलकार हुए वो अपना नाम दाखिल–खारिज बिहार सरकार के सिरिस्ते में करवाये वो जमाबंदी नं०: 1517 डोमी साह के नाम से कायम हुआ वो डोमी साह बिहार सरकार को रेन्ट अदाय कर रसीद हासिल करते आये वो डोमी साह के मृत्यु के बाद उनके तीनों लड़के मुकुन साह, विशुनदेव साह वो बहादुर साह अपीलार्थी नं०:1, 2 वो 3 उक्त विवादी भूमि पर अलग–अलग पक्का–छतदार मकान बनाये वो अपने परिवार के साथ रहते हैं।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि मुताबिक प्रावधान अंदर दफा 4 (2) बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के निम्न न्यायालय को हाल सर्वे फाईनल खतियान को (Setting Aside) या संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रूलिंग 2013 (3) बी०बी०सी०जे० पेज–140 से 147 दाखिल करते हुए यह भी कथन करते हैं कि इससे भी स्पष्ट होता है कि विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता , उदाकिशुनगंज ने इस कानूनी बिन्दु को (Consider) नहीं किया वो गलत वो विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि वादी/रेस्पोण्डेन्ट ने अपने वाद–पत्र के दफा नं० 15 (i) में टाईटिल का मांग किया है वो टाईटिल करने का अधिकार प्रस्तुत एक्ट के अंदर भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता को नहीं है वो टाईटिल घोषित करने का अधिकार सिविल कोर्ट को ही प्राप्त है वो निम्न न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र (Justification) से बाहर जाकर वादी/रेस्पोण्डेन्ट के पक्ष में आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। वो बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के दफा नं० 4 (5) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि "जहाँ कहीं भी सक्षम प्राधिकार को यह प्रतीत होता है कि उसे समक्ष दायर वाद में स्वत्व न्याय–निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न (Complex Question of Adjudication of Title) निहित है, वह कार्यवाही बन्द कर देगा तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के समक्ष उपचाारों की याचना के लिए स्वतंत्र होगें" वो प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों का दावा केवाला से आधारित है वो वादी/रेस्पोण्डेन्ट ने (Title) का मँाग किया है जिस वजह से प्रस्तुत वाद में (Complex Question of Adjudication of Title) का प्रश्न उठता है वो निम्न न्यायालय इस महत्वपूर्ण तथ्य की अवहेलना कर वादी के पक्ष में आदेश पारित किया है जो बिल्कुल गलत वो असंवैधानिक है।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि खतियानी रैयत भिखारी मंडल को कोई संतान नहीं था जिस वजह से वे अपने भतीजा योगेन्द्र यादव को गोद ले लिये जो वादी/रेस्पोण्डेन्ट ने निम्न न्यायालय में दाखिल वाद–पत्र के दफा नं० 10 में उल्लेखित तथ्य " That the recorded tanent died and his legal heirs are traceless" से भी एडमिट हो जाता है। जिस वजह से वादी/रेस्पोण्डेन्ट का कोई दावा विवादी भूमि पर नहीं बनता है वो निम्न न्यायालय ने इस तथ्य को भी (Consider) नहीं किया है।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादित भूमि पर हम अपीलार्थीगण का पक्का छतदार मकान बना हुआ है वो हाल सर्वे खतियान में भी किश्म जमीन "मकान–मय–सहन" दर्ज है वो अपीलार्थी के केवाला में भी किश्म जमीन "मकान–मय–सहन" दर्ज है जिससे स्पष्ट साबित हो जाता है कि विक्रेता अपीलार्थी वो अपीलार्थीगण का विवादी भूमि पर मकानात था वो है वो निम्न न्यायालय ने कोई स्थल निरीक्षण नहीं किया वो आदेश पारित कर दिया जो बिल्कुल ही गैरकानूनी कार्यवाही निम्न न्यायालय का है वो निम्न न्यायालय ने अपने आदेश में

अपीलार्थीगण के घर–मकान के संदर्भ में कोई (Finding) नहीं दिया है वो हाल सर्वे की कार्यवाही वी०टी० एक्ट के प्रावधानों के तहत 1977 में फाईनल हो चुका है वो उक्त फाईनल खतियान होने के बाद वी०टी० एक्ट के बाद कोई कार्यवाही बची हुई नहीं है तो मुताबिक दफा नं० –4, Sub Clause 2 वो 3 के अनुसार "सक्षम न्यायालय को अनुसूची 1 में शामिल किसी अधिनियम के तहत अंतिम रूप से समाप्त एवं न्याय निर्णित कार्यवाही के पुनर्विलोकन या फिर से प्रारम्भ करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।" वो मुताबिक उसके बी०टी० एक्ट के मुताबिक हाल सर्वे खतियान फाईनल हो चुका है वो कार्यवाही अंतिम रूप से समाप्त हो गयी है तो उसे निर्णित करने का अधिकार निम्न न्यायालय को नहीं है एवं दफा नं० 4 (3) के अनुसार भी नये अधिकारों का जो निर्धारित नहीं है उसे भी देखने का अधिकार नहीं है एवं दफा नं० 4 (4) जिसमें निर्णय का अधिकार अनिर्णित मामलों में दिया गया है उसे माननीय उच्च न्यायालय में अपने जजमेन्ट PLJR-2014(3) Page no. 28 के अनुसार न्याय निर्णित करने का नहीं है वो भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता ने गलत रूप से आदेश पारित किया है वो निम्न न्यायालय का आदेश बिल्कुल गलत वो प्रावधानों के विपरीत हैं बतलाते हैं।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा वाद के समर्थन में बी०बी०सी०जे० –2013 (3) पटना – पेज 140–147, पी० एल० जे० आर० –2014 (3) पटना पेज –281 से 291, टैरिज खतियान खाता नं० 212 नाम से भिखारी मंडल पिताः पोसन मंडल, खेसरा पंजी खेसरा नं 473 खाता नं 212 रकबा 10 डी० (2 कट्ठा 06 डी०), हाल सर्वे फाईनल खतियान नाम से योगेन्द्र यादव पिता तेतर यादव नया खेसरा संख्या 1123, नया खाता नं० 916, केवाला संख्याः 5517/1973 दिनांक 23.10.73 योगेन्द्र यादव एवं अन्य इनफारमेशन स्लीप दिनांक 06.12.2011 एवं रेन्ट रिसिट नाम से डोमी साह जमाबंदी नं० 1517 वर्श 2014–15, 2012–13 एवं 2004–05 की छाया प्रतियॉ दाखिल किया गया है।

दूसरी ओर रेसपाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद संख्याः 159/2011–12 में दिनांकः 10.01.2012 को अंतिम आदेश पारित किया गया है वो अपीलकर्त्ता ने उक्त अपील वाद 175/12 दिनांकः 23.05.2012 को दायर किये है जो बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 14 एवं बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली 2010 की धारा 23 के अनुसार उक्त अपील time barred है वो time barred के आधार पर श्रीमान के द्वारा उक्त भूमि विवाद अपील खारिज के काबिल है बतलाते हैं।

रेसपाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि मौजाः खुरहान मिलीक थाना नं०: 067 थानाः सादिक किशुनगंज सादिक जिलाः भागलपुर के अन्तर्गत पुराना खाता : 212 पुराना खेसराः 472 रकवाः 03 कट्ठा 18 धुर वो पुराना खेसरा 473 रकवाः 02 कट्ठा 06 धुर नाम से भिखारी मंडल वल्द पोसन मंडल पुराना सर्वे खतियान वो खेसरा पंजी देखने से जाहिर वो साबित होता है 6.1/2 हाथ के लग्गा से 03 कट्ठा 18 धुर यानि 17 डी० जमीन वो 02 कट्ठा 06 धुर यानि 11 डी० होता है वो उक्त पुराना खाताः 212 के खतियानी रैयत भिखारी मंडल को मात्र एक पुत्र लाला यादव हुए जिसके सबूत में पुराना केवाला एक दाखिल करेंगे वो लाला यादव की पत्नी मसोमात लगिया देवी से रेस्पोण्डेन्ट राजेन्द्र प्रसाद यादव उर्फ राजो यादव ने मोही यादव से मिलकर केवाला दस्तावेज संख्याः 10831 दिनांकः 22.11.1956 खाता पुरानाः 212, खेसरा पुरानाः 472 रकवाः 17 डी० वो खेसरा पुरानाः 473 रकवाः 11 डी० जुमला 28 डी० यानि 06 कट्ठा 09 धुर जमीन खरीदकर हकदार वो दखलकार रहते चले आ रहे हैं वो मुताबिक केवाला सुदा एराजी के निश्वत बिहार सरकार के अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी नं० 393 राजो यादव वो मोही यादव के नाम से सरकारी मालगुजारी रसीद हासिल रहते आया वो हाल सर्वे में पुराना खेसराः 472 से नया खेसराः 1124 का नक्शा 17 डी० ही बना वो पुराना खेसराः 473 से नया खेसराः 1123 नक्शा में 11 डी० बना लेकिन खतियान मात्र 08 डी० ही बना।

रेसपाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि पुराना खेसराः 472 से नया खेसराः 1124 नया खाता 895 रकवाः 14 डी० मकान मय सहन मोही यादव 1 अंश वो राजेन्द्र यादव 1 अंश संयुक्त रूप से बना है,

लेकिन पुराना खेसरा 473 से नया खेसरा 1123 सर्वे अमलेगान की गलती से योगेन्द्र यादव पिता तेतर यादव के नाम से गलत बन गया है जबकि योगेन्द्र यादव को उक्त जमीन से कभी कोई हक वो सरोकार नहीं था वो न है।

रेसपाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे कथन करते हैं कि योगेन्द्र यादव का देहान्त हो गया है उनके उक्त उत्तराधिकारी का कोई अता–पता नहीं है और न वे यहाँ के निवासी ही है अपीलकर्त्ता तथाकथित केवाला किसी दिगर व्यक्ति को खड़ा कर जाली फरेबी केवाला के आधार पर विवादी जमीन पर दिनांकः 10.08.2011 को दस्तनदाजी किये वो बोल–चाल किये कि जबरन जमीन कब्जा कर लेगें तो विवाद उत्पन्न हुआ वो अपीलकर्त्ता दिनांकः 18.09.2011 को विवादी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिये तब रेस्पोण्डेन्ट/आवेदक ने भूमि विवाद मोकदमा 159/2011–12 निम्न न्यायालय में दाखिल किये वो निम्न न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से दाखिल कागजातों के आधार पर भूमि विवाद मोकदमाः 159/2011 में दिनांकः 10.01.2012 को बिल्कुल सही आदेश पारित किये है कि दिनांकः 22.11.1956 को ही मसो० लगिया देवी ने पुराना खतियानी रैयत भिखारी मंडल की पुतोहूँ होने का दावा करते हुए खाता पुरानाः 212 खेसरा पुरानाः 472 रकवाः 17 डी० वो खेसरा पुरानाः 473 रकवाः 11 डी० कुल 28 डी० का केवाला इस रेस्पोण्डेन्ट राजेन्द्र प्रसाद यादव उर्फ राजो यादव एवं मोही यादव को केवाला तामिल किये। केवाला के मजबून में अंकित हैं कि लगिया देवी के ससुर भिखारी मंडल हैं जिसमें से पुराना खेसराः 472 नया खेसराः 1124 अंदर नया खाताः 895 राजेन्द्र यादव 1 अंश एवं अन्य क्रेता मोही यादव 1 अंश खुला है जिसके विरूद्ध योगेन्द्र यादव ने कोई आपत्ति नहीं किए हैं योगेन्द्र यादव का पोषपुत्र वाली कहानी प्रमाणित नहीं होता है इसलिए पुराना खेसराः 473, रकवाः 11 डी० का नया सर्वे नक्शा नया खेसराः 1123 बना है लेकिन नया खेसराः 1123 रकवा 08 डी० तथा खाताः 916 नाम से योगेन्द्र यादव का विलोपित समझते हुए वादी/रेस्पोण्डेन्ट रविन्द्र नारायण यादव उर्फ राजो यादव पिता सहदेव यादव साकिन खुरहान मिलीक थानाः आलमनगर, जिलाः मधेपुरा का नाम समझा जाय।

रेसपाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के धारा–4 के उपधारा– (च) में मानचित्र/सर्वे मानचित्र सहित स्वत्वाधिकार अभिलेख में की गई प्रविष्टि में संशोधन का अधिकार भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता को प्राप्त है जिस कानून के तहत निम्न न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज ने दिनांकः 10.01.2012 को सही आदेश पारित किये है जिस रूह से उक्त भूमि अपील वाद साथ खर्चा के खारिज के काबिल है बतलाते हैं।

रेसपाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में रेसपाण्डेन्ट के पक्ष में न ही लिखित बहस दाखिल किया गया है और न ही कोई कागजात ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकनोपरांत पाया कि दिनांक 11.01.2012 द्वारा प्रश्नगत भूमि का स्थल सत्यापन कराने का अनुरोध पक्षकार द्वारा की गई है, जिसका कार्यान्वयन भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा नहीं कराया गया है। स्थल पर मापी से स्पष्ट ~~स्पष्ट~~ हो जाता कि प्रश्नगत खाता नं0–212 (पुराना)/916 (नया) खेसरा संख्या–473 (पुराना)/1123 (नया) का रकवा वस्तुतः 11 डि0 है या 08 डि0 है। तदोपरांत कायम जमाबंदी/कागजातों के अनुसार प्रतिपक्षी का कब्जा पाया जाता है तो मापी कराकर सीमांकन कर उन्हें दिलाया जाय। निम्न न्यायालय के आदेश में इस आंशिक संशोधन के साथ अभिलेख वापस की जाए। तद्नुसार वाद की कार्यवाई निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

17.X.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

17.X.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा